म0प्र0राज्य सूचना आयोग, भोपाल

अपील क्र0 ए–23 / रासूआ / 22 / भोपाल / 2006

श्री व्ही0एल0खरे, अपीलकर्ता
ई–8 / 102, वसंत कुंज,
अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म0प्र0)

विरूद्ध

अपीलीय अधिकारी एवं
सचिव
म0प्र0शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग,
भोपाल (म0प्र0)

आदेश

(दिनांक 01 अप्रेल 2006)

श्री व्ही0एल0खरे (अपीलकर्ता) ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (अधिनियम) की धारा 19(3) के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी सचिव, म0प्र0शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश दिनांक 27.12.2005 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है।

2. अपीलकर्ता ने विशेष पुलिस स्थापना ग्वालियर के अपराध क्र0 22 / 01 में चाही गई अभियोजन स्वीकृति से संबंधित विभागीय नस्ती के निरीक्षण की अनुमति मांगी थी, जो उसे प्रदान नहीं की गई है । प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के अनुसार अपीलकर्ता के पुत्र श्री संदीप खरे के विरूद्ध विशेष पुलिस स्थापना के अपराध क्र0 22 / 01 धारा 7, 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव विधि विभाग में प्राप्त हुआ था । इस प्रस्ताव पर विधि विभाग ने दिनांक 26.5.2004 के द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की है ।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में अपीलकर्ता को नस्ती का अवलोकन करने की अनुमति नहीं देने का निर्णय इस आधार पर लिया है कि श्री संदीप खरे के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही जारी है। यदि अपीलकर्ता को विभागीय नस्ती का निरीक्षण कराया जाता है और यदि इस निरीक्षण के आधार पर कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो वह अभियोजन के प्रकरण में बाधक हो

सकती है, इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 8(1)(एच) के प्रावधानों के अन्तर्गत अवलोकन की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है ।

4. इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपीलकर्ता के अपील ज्ञापन पर प्रतिवेदन देने की सूचना दी गई थी । उन्हें मौखिक सुनवाई के समय अपना पक्ष प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया गया था । लोक सूचना अधिकारी संबंधित नस्ती के साथ सुनवाई के समय उपस्थित हुए। इस प्रकरण में दिनांक 21 मार्च 2006 एवं 29 मार्च 2006 को सुनवाई की गई।

5. प्रकरण में निर्णय के लिए मुख्य बिन्दु यह है कि क्या उन प्रकरणों में, जिनमें अभियोजन के लिए शासन की कोई स्वीकृति आवश्यक है उनमें अभियुक्त या किसी अन्य नागरिक को संबंधित नस्ती के निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं दी जा सकती है, और क्या इस प्रकार के प्रकरणों में धारा 8(1)(एच) की सुरक्षा संबंधित लोक प्राधिकारी को प्राप्त है या नहीं प्राप्त है । यह प्रकरण सामान्य अभियोजन का प्रकरण न होकर एक ऐसा प्रकरण है जिसमें अभियोजन की कार्यवाही बिना शासन की स्वीकृति के नहीं की जा सकती है । यह स्वीकृति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) के अन्तर्गत आवश्यक है और यदि यह स्वीकृति किसी प्रकरण में जिसमें यह धारा लागू होती है, नहीं दी जाती है तो अभियोजन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत यह सुरक्षा उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त है जो किसी अपराध के घटने के समय राज्य शासन की सेवा में कार्यरत है और ऐसे लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं जिन्हें निकालने की कार्यवाही राज्य शासन द्वारा की जाती है । यह भी आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति जिस समय अपराध घटित हुआ है उस समय वह सरकारी कार्य कर रहा हो । स्पष्टतः इस प्रकार की सुरक्षा लोक सेवक या उन सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त है जो केवल राज्य शासन के आदेश के द्वारा ही नियुक्ति से हटाए जा सकते हैं । यह अन्य लोक सेवक को उपलब्ध नहीं है । संबंधित लोक सेवक घटना के घटने के समय राज्य शासन के कार्य में कार्यरत था अथवा नहीं था, इसका निर्णय राज्य शासन ही ले सकती है, अन्य व्यक्ति को लेने का अधिकार नहीं है और यदि राज्य शासन का यह निर्णय होता है कि ऐसे प्रकरण में अभियोजन की स्वीकृति दी जानी चाहिए तो प्रदान की जाती है ।

6. लोक सेवक के प्रकरणों में इस प्रकार से केवल यही पर्याप्त नहीं है कि अपराध के संबंध में अनुसंधान की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त है बल्कि यह भी आवश्यक है कि उसे स्वीकृति राज्य शासन की अभियोजन करने के लिए मिले । वस्तुतः यह स्थिति अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने और न्यायालय में अभियोजन आरंभ करने के पूर्व की है । यद्यपि यह कार्यवाही अभियोजन से संबंधित है लेकिन लोक सेवक के संबंध में राज्य शासन की अनुमति की अहम भूमिका होती है । यह देखा गया है कि लोक सेवक द्वारा जब अपराध घटित

होता है और शासन की अनुमति की आवश्यकता होती है तो किन्हीं प्रकरणों में अनुमति प्रदाय की जाती है और किन्हीं प्रकरणों में अनुमति नहीं दी जाती है । यह भी देखा गया है कि किन्हीं प्रकरणों में अनुमति नहीं देने का निर्णय होने के कुछ अंतराल के बाद अनुमति दे दी जाती है या अनुमति देने के बाद कुछ समय के उपरांत अनुमति वापस ले ली जाती है । इस प्रकार के प्रकरणों में नागरिक को यह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है कि किन आधार पर अनुमति दी गई है अथवा किन आधार पर अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया है अथवा किन आधार पर अनुमति देने या नहीं देने के निर्णय का पुनरावलोकन किया गया है । अधिनियम की धारा 8(2) में इसका स्पष्ट प्रावधान है कि कोई सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 अथवा धारा 8(1) में दिए गए प्रावधान को देखते हुए यदि लोक हित सूचना के प्रकटीकरण से सुरक्षित हित की तुलना में अधिक भारी पड़ता है तो लोक प्राधिकारी पर धारा 8(1) के प्रावधान बंधनकारी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के प्रकरणों जिनमें अभियोजन की स्वीकृति या अभियोजन स्वीकृति नहीं देने या पुनरावलोकन करने की स्थिति निर्मित होती है तो नागरिक को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है क्योंकि ऐसे प्रकरणों में लोक हित अधिक भारी पड़ता है । इस प्रकरण में भी नस्ती के अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट पाया है कि एक बार एक प्रकार का निर्णय दिए जाने के बाद पुनः उसका पुनरावलोकन हुआ है और अनुमति दी गई है ।

7. यहॉ यह कहना आवश्यक है कि अभियोजन के संबंध में दी गई अनुमति और अनुमति नहीं दिए जाने का कोई भी प्रभाव अभियोजन में नहीं पड़ता है । यदि किन्हीं कारणों से अभियोजन देने या नहीं देने का निर्णय लिया जाता है तो उसकी पूरी जानकारी न्यायालय को, व्यक्ति एवं नागरिक तथा अभियुक्त को प्राप्त करने का पूरा अधिकार है । उल्लेखनीय है कि सामान्य नागरिक को यदि वह लोक सेवक नहीं होता है तो अभियोजन के संबंध में जो प्रपत्र है, उन्हें अभियोजन प्रारंभ करने के पूर्व न्यायालयीन व्यवस्था के अन्तर्गत दिया जाना आवश्यक है जिससे उसके आधार पर वह अपना संरक्षण कर सके । लोक सेवक के अभियोजन का प्रश्न लोक सेवक द्वारा सरकारी कार्यो को करते समय संरक्षण से संबंधित है और ऐसी स्थिति में नागरिकों को यह अधिकार है कि वह यह जाने कि शासन के द्वारा उन्हें संरक्षण किस आधार पर दिया गया है या नहीं दिया गया है। अतः मैं लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के मत से सहमत नहीं हूँ । अपीलकर्ता को नस्ती का अवलोकन करने का अधिकार है और उसे यह नस्ती दिखाई जानी चाहिए।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
01 अप्रेल 2006